प्रेस विज्ञप्ति

06.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 05.02.2026 को केरल और तमिलनाडु में स्थित दस परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई राजू जॉर्ज और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित नेदुमपरम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट (एनसीएस), केरल और उससे संबद्ध समूह की कंपनियों द्वारा निवेशकों के धन की कथित धोखाधड़ी और गबन की जांच के सिलसिले में की गई।

यह जांच केरल पुलिस द्वारा पुलिकेझु पुलिस स्टेशन, पथानामथिट्टा और मुवत्तुपुझा पुलिस स्टेशन, एर्नाकुलम में एनसीएस समूह के प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी सहित अनुसूचित अपराधों के लिए दर्ज की गई कई एफआईआर से शुरू हुई। इन मूल अपराधों के आधार पर, 01.07.2024 को एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई और पीएमएलए के तहत वित्तीय जांच शुरू की गई।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि उच्च प्रतिफल के वादे पर सार्वजनिक जमा राशि जुटाई गई और फिर अपराध की आय को समूह के भीतर धन हस्तांतरण, बाहरी संस्थाओं के साथ लेनदेन, चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और अन्य वित्तीय गतिविधियों के माध्यम से हेराफेरी, हेरफेर और उपयोग किया गया। तलाशी के दौरान जुटाए गए साक्ष्य एनसीएस समूह के संबंधित कंपनियों के साथ संबंधों को दर्शाते हैं और आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों से जुड़े व्यापक अचल संपत्ति अधिग्रहण, नकद लेनदेन, वित्तीय साधनों में निवेश और स्वर्ण ऋण लेनदेन को उजागर करते हैं।

तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड बरामद कर ज़ब्त किए गए। समूह से जुड़ी अचल संपत्तियों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जिनमें अपराध की आय से प्राप्त होने वाली उच्च मूल्य की संपत्तियां भी शामिल हैं। ऐसी संपत्तियों को छिपाने या नष्ट होने से रोकने के लिए, मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों की 44.5 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पीएमएलए की धारा 17(1-ए) के तहत फ्रीज़ कर दिया गया है।

ज़ब्त की गई सामग्री की गहन जांच की जा रही है ताकि अपराध की पूरी आय का पता लगाया जा सके, धन और संपत्तियों के हेरफेर की मात्रा निर्धारित की जा सके, लाभार्थियों की पहचान की जा सके और पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध साबित किया जा सके।

आगे की जांच जारी है।